भगवानाराम

13/3/2018 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में नेतड़वास में पेश हुई। तहसीलदार, के पत्र दिनांक 13/3/2018 द्वारा वादि भगवाना की आपत्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जो कार्य पत्रावली रही। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 13/3/2018 में अंकित किया है कि पीओ पत्र पर वादी भगवानाराम की आपत्ति दिनांक 30/4/2018 के संबंध में निर्देशित किए जाने पर उक्त संदर्भित खसरा नं. वादी का कथन है उसे मूंड राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मूंड से कम मूंड प्रतीत हो रही है, अस्वीकार्य है। पत्र दिनांक 22.9.2017 के अनुसार लिखवाये गये पीओ प्रस्ताव पर वादी भगवानाराम के हस्ताक्षर अंकित है। पीओ प्रस्ताव में पेश की गई वाहनी बंटवारे के अनुसार तैयार किया गया है जिस पर प्रतिवादी सहमति, बंधनीय बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाने में सहमत नहीं पूर्व में ज्यादा गया बंटवारा प्रस्ताव पर अधिवक्ता पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार किया गया है, जो उचित है। बंटवारा प्रस्ताव बाहमी बंटवारे के अनुसार तैयार किया गया है जिसमें वादि भगवानाराम ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मूंड से अधिक मूंड प्रतीत हो रही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, एवं पूर्व में किये गये विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं० 4 व 5 को पीओ प्रस्ताव के अनुसार किसी रूपये में आपत्ति नहीं है पीओ प्रस्ताव पर वादी भगवानाराम के भी हस्ताक्षर

लय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, धोद (सीकर)

न भगवानाराम बनाम दयाराम आदि

मा नं. 60/2018

--- प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 के कथनानुसार वादपत्र में उपयुक्त पैतृक दुकान को शामिल नहीं किया गया। अतः वाद पत्र के अनुसार कब्जे में प्रस्तुत नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में वादपत्र में वर्णित स्थिति संबंधित अनुसार फौजदारी प्रस्ताव की कार्यवाही तहसीलदार के समक्ष हो चुकी है। हितेष कार्यवाही की रिपोर्ट/प्रस्ताव में की पूर्व रिपोर्ट को समाप्त किया गया है। लिहाजा इस तहसीलदार, धोद के पत्र दिनांक 24/9/2018 के अनुसार फर्द मौका करवाए प्रस्ताव दिनांक 19/9/2018 से फंतुष्ट है।

अतः वाद वादी द्वारा किया गया प्रस्ताव तहसीलदार, धोद दिनांक 24/9/2018 डिक्री किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर में रूक्ष हो। वाद तकमील तजवीज दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार, धोद दिनांक 24/9/2018 के अनुसार फर्द आदेश का पार्ट रहेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

निर्णय आज दिनांक 19/9/2018 को ओपन कोर्ट में हमारे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner